न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/44/2019

मन्दिर श्री जुगलकिशोर महाराज, ग्राम सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर जरिये अध्यक्ष दौलतसिंह पुत्र श्री सुगरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर (राज0) .....प्रार्थी

बनाम

1 गोपाल पुत्र स्व. श्री सोहनलाल
2 ओमप्रकाश पुत्र स्व.श्री सोहनलाल
3 महेश पुत्र स्व. श्री सोहनलाल
4 पुष्करराज पुत्र श्री बद्रीप्रसाद
जातियान ब्राहमण निवासीयान ग्राम सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर
5 तहसीलदार साहब, तहसील वैर जिला भरतपुर
6 थानाधिकारी, पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बावत् उनवानी सरकार बनाम दौलतसिंह सोहनलाल वगै.अन्तर्गत धारा 145 प्रकरण संख्या–05/16 न्यायालय एस.डी.एम वैर जिला भरतपुर आगामी तारीख पेशी–17.06.2019

उपस्थितिः–

1–दिलीपसिंह ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2–दिनेश शर्मा ऐडवोकेट अभिभाषक अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

यह प्रार्थना पत्र उनवानी सरकार बनाम दौलतसिंह सोहनलाल वगैराह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. न्यायालय एस.डी.एम वैर जिला भरतपुर के यहां विचाराधीन है , जिसमें आगामी पेशी 17.06.2019 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.एम वैर द्वारा उक्त प्रकरण में गत तारीख 26.04. 2019 से पूर्व उक्त प्रकरण में 25.03.2019 तारीख पेशी नियत थी उक्त दिवस

को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.एम वैर के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुये देखा गया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 26.04.2019 नियत की गई। इस बीच अधीनस्थ न्यायलय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जो कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को दूर का रिश्तेदार है के द्वारा बिना प्रार्थी को सूचित किये व बिना प्रार्थी को सुने तारीख पेशी 26.04.2019 से पूर्व ही दिनांक 09.04. 2019 को उक्त प्रकरण की पत्रावली को निकालकर आदेश क्रमांक / रीडर / 19 / 125 पारित करते हूए अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को विवादित मंदिर का रिसीवर नियुक्त कर दिया। प्रार्थी को दिनांक 26.04.2019 को तारीख पेशी न्यायलय में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके अधिवक्ता वगैर पत्रावली दिखाये आगामी तारीख पेशी 17.06.2019 नियत कर दी गई थी। प्रार्थी को इस सबके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब दिनांक 02.05.2019 को प्रार्थी को बिना सूचित किये अप्रार्थी संख्या 5 व 6 मय पुलिस जाब्ता व पटवारी हल्का, भूअभिलेख निरीक्षक सहित के विवादित मंदिर पहुंचे और उनके द्वारा मंदिर के पुजारी लखन से अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर प्रार्थी व अन्य ट्रस्टीयान व गांव के लोगों की अनुपस्थिति में मंदिर को अपनी सुपुदर्गी में लेने का प्रयास किया और अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 से साज कर जबरदस्ती अप्रार्थी संख्या 4 को विवादित मंदिर के ामने को अवैध तरीके से फर्द बनाकर सुपुर्द कर पुजारी नियुक्त कर दिया। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 व अधीनस्थ न्यायलय के पीठासीन अधिकारी का उक्त कृत्य अवैध व अनाधिकार है जबकि अभी उक्त प्रकरण का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी,वैर से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी,वैर से टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ, शामिल मिसिल किया गया। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा.फौ. उपखण्ड अधिकारी, वैर के न्यायालय में विचाराधीन है। एस.डी.ओ. वैर से टिप्पणी आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी

का कहना है कि न्याय करने को ही नहीं होता है खुले न्यायालय में दिखना भी चाहिये कि न्याय हो रहा है। उन्होने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा.फौ. उपखण्ड अधिकारी, वैर के न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी प्रार्थना पत्र को लम्बा कराने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी निर्णय को नहीं होने देना चाहते है । प्रार्थना पत्र को इधर उधर स्थानान्तरण करवा कर लम्बा करने की नियत रखते है। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी की न्याय के प्रति शंका को मध्य नजर रखते हुये एस.डी.ओ. भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना उचित पाते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। एस.डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 05 / 2016 सरकार बनाम दौलतसिंह वगे. को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर को प्रेषित की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर